

8 अधिकारियों के नवीन पदस्थापन आदेश जारी

जयपुर, सहकारिता विभाग में आदेश की प्रतीक्षा चल रहे राजस्थान सहकारिता सेवा के आठ अधिकारियों के नवीन पदस्थापन आदेश जारी कर दिए गए हैं। संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन सभी अधिकारियों को राज्यहित में तुरंत प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त स्थानों पर तैनात किया गया है, जिसमें श्री सुनील कुमार को उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, राजसमंद श्री राजेंद्र प्रसाद दायमा को उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, झालावाड़, श्री अनिल कुमार बैरवा को अधिशाषी अधिकारी केंद्रीय सहकारी बैंक, भरतपुर श्री सत्येंद्र सिंह मीणा को उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, भीलवाड़ा श्री दलपत दान को सचिव पीएलडीबी, बालोतरा श्रीमती मीनू बलाई को विशेष लेखा परीक्षक जोधपुर, श्री कपिल देव सिंह को उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, जैसलमेर तथा श्री योगेश प्रसाद को सचिव पीएलडीबी, झुंझुनूं के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

2348 करोड़ के अवधिपार ऋणों की होगी वसूली

जयपुर, राजस्थान स्टेट को-ऑप बैंक (शीर्ष बैंक) ने अल्पकालीन फसल ऋण के तहत बकाया पड़े लगभग 2348.65 करोड़ रुपये की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए हैं। बैंक प्रबंधन ने राज्य के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को 20 जुलाई से 19 अगस्त तक ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश जारी किए हैं। पूर्व बैठकों और निर्देशों के बाद भी अपेक्षित प्रगति न मिलने के कारण अब इस अभियान को 'मिशन मोड' में चलाया जा रहा है। शीर्ष बैंक के प्रबंध निदेशक रणजीत सिंह चुंडावत के अनुसार, बैंक अवधिपार ऋणी किसानों की विस्तृत सूची शाखा और पैक्सवार तैयार कर पारदर्शी तरीके से शिविरों का आयोजन करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि शत-प्रतिशत बकाया वसूली से सहकारिता बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय तल्लता बढ़ेगी। साथ ही, अवधिपार ऋणी किसान दोबारा नए फसली चक्र से जुड़ सकेंगे और उन्हें भविष्य में भी सहकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

किसानों की पूंजी की लूट : ऑडिट में मुनाफे के पन्ने चमकते हैं, पर लाभांश के नाम पर किसानों को मिलती है फूटी कौड़ी

प्रकाश वैष्णव
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, राज्य में किसानों के पसीने और खून-पसीने की गाढ़ी कमाई से संचालित होने वाली सहकारी संस्थाएं इन दिनों अन्नदाताओं के अधिकारों का गला घोटने का अड्डा बन चुकी हैं। किसानों और हितधारकों की शेयर कैपिटल के दम पर करोड़ों-अरबों का कारोबार करने वाली ये संस्थाएं, कागजों में तो मालामाल हैं, लेकिन जब लाभांश (डिविडेंड) देने की बारी आती है, तो इनके खजाने और नीयत दोनों खाली नजर आते हैं। जोधपुर संभाग से लेकर राज्य मुख्यालय तक सहकारिता का यह अजब खेल चल रहा है, जहां सीए फर्मर्स की मेहरबानी से बैलेंस शीट के पन्ने तो चमकते हैं, लेकिन किसानों के हिस्से सिवाय निराशा के कुछ नहीं

चमक-दमक पर लुटाया जा रहा पैसा

किसानों की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग यहीं नहीं रुकता। राजनीतिक स्वार्थ और अपनी छवि चमकाने वाले राज्य स्तरीय आयोजनों के नाम पर इन सहकारी संस्थाओं से हर साल हजारों-लाखों रुपए जबरन वसूले जाते हैं। विभागीय स्तर पर तय राशियां इन आयोजनों में पानी की तरह बहा दी जाती हैं, लेकिन जब बात ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेक्टर के जरिए किसानों और सदस्यों को आधुनिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की आती है, तो ये संस्थाएं फिसट्टी साबित होती हैं।

आता । जोधपुर खंड की अधिकांश क्रय-विक्रय सहकारी समितियां से लेकर उपभोक्ता होलसेल भंडारों की ऑडिट रिपोर्ट्स उठा कर देख लीजिए। वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ के आंकड़े ऐसे चमकते हैं मानो कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस चल रहा हो। लेकिन विडंबना यह है कि इन संस्थाओं को खड़ा करने वाले किसानों और प्राथमिक सदस्यों को



लाभांश के रूप में एक फूटी कौड़ी तक वितरित नहीं की जाती। नियमों की दुहाई देने वाले सहकारिता विभाग के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर इन संस्थाओं के मुनाफे पर सदस्यों की जवाबदेही क्यों तय नहीं की जाती? हालत इससे भी बदतर जोधपुर संभाग के केंद्रीय सहकारी बैंकों की है। बाड़मेर, सिरौही और जालोर

किसानों का हक सबसे पहले

सहकारिता आंदोलन का मूल आधार ही किसानों का उद्धान और उनकी पूंजी की सुरक्षा है। जब संस्थाएं लाभ अर्जित कर रही हैं, तो उस पर सबसे पहला और कानूनी हक उन हितधारकों और सदस्यों का है, जिनके दम पर यह ढांचा खड़ा है—ना कि राजनीतिक आयोजनों में शोहरत बटोरने का। अब वक्त आ गया है कि सहकारिता के नाम पर चल रहे इस खेल पर विभाग और शासन नकेल कसे।

लाभांश देने की बात आती है, तो बैंक घाटे का रोना रोने लगता है। लेकिन ठीक उसी वित्तीय वर्ष में बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान समझौते के नाम पर एरियर और नए वेतन निर्धारण लागू कर करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। यानी कर्मचारियों की तिजोरी भरने के लिए पैसा है, पर किसानों के हक के लिए खजाना खाली है।

मारवाड का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। दी जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की चितलवानी शाखा में प्रबंध निदेशक नारायणसिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में ई-पैक्स घोषित समितियों में डिजिटल कार्यों को गति देने और 'सहकार से समृद्धि' अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए।

प्रबंध निदेशक ने दुग्ध समितियों को 'बैंक मित्र' बनाने, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना व फसली ऋणों की वसूली और गोदाम निर्माण के कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। शाखा प्रबंधक अभिषेक राजपूत सहित कई व्यवस्थापक इसमें मौजूद रहे। चितलवानी शाखा की सभी समितियों का कंप्यूटराइजेशन होना एक बड़ी उपलब्धि है।



विधानसभा में तारांकित प्रश्न पर सरकार का स्पष्ट रुख, नए जिलों में वित्तीय सुदृढीकरण की जगी आस

प्रदेश के 12 नए जिलों में केंद्रीय सहकारी बैंक खोलने की कवायद बालोतरा समेत कई नए जिलों को जल्द मिलेगी सीसीबी की सौगात

अतीत के प्रशासनिक ढांचे से निकलकर अब विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ रहा है सहकारिता का दायरा

प्रकाश वैष्णव

Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान में सहकारी आंदोलन को अब जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार ने प्रशासनिक और वित्तीय फेरबदल की प्रक्रिया तेज कर दी है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पंचपदरा विधायक अरुण चौधरी द्वारा उठाए गए तारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के नवगठित जिलों में केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना को लेकर सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है और कई जिलों में गठन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों और स्थानीय काशतकारों को उनके ही गृह जिले में बैंकिंग सहूलियतें मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। राजस्थान में सहकारी आंदोलन का इतिहास दशकों पुराना है, जिसकी जड़ें ग्रामीण ऋण और किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाने के लिए बोर्ड गई थीं। पूर्ववर्ती समय में जब नए जिलों का गठन हुआ, तो प्रशासनिक सीमाएं तो

वर्तमान परिदृश्य और विधानसभा में हुआ बड़ा खुलासा



विधानसभा में आए आधिकारिक जवाब के अनुसार, सरकार ने सहकारिता के दायरे को व्यापक बनाते हुए प्रदेश के 12 नए जिलों में नवीन केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना हेतु सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। सरकार द्वारा सदन में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार जिन 12 नए जिलों में सर्वे कराया गया है,

■ बालोतरा सीसीबी प्रस्तावित	■ खैरथल तिजारा जिले में सर्वे पूर्ण
■ ब्यावर जिले में सर्वे पूर्ण	■ कोटपूतली बहरोड़ जिले में सर्वे पूर्ण
■ धौलपुर जिले में सर्वे पूर्ण	■ फलीदी में नियमों के तहत प्रक्रियाधीन
■ डीडवाना-कुचामन जिले में सर्वे पूर्ण	■ प्रतापगढ़ जिले में सर्वे पूर्ण
■ करौली जिले में सर्वे पूर्ण	■ राजसमंद जिले में सर्वे पूर्ण
■ सलूबर जिले में सर्वे पूर्ण	■ डीग जिले में सर्वे पूर्ण

बदल गई, लेकिन वित्तीय और सहकारिता ढांचा पुराने बड़े जिलों के अधीन ही काम करता रहा। मिसाल के तौर पर, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन या फलीदी जैसे नए जिले बनने के बाद भी वहां के किसानों और ग्रामीण सहकारियों को बैंकिंग कार्यों के लिए पुराने जिला मुख्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। इससे न केवल समय और धन की बर्बादी होती थी, बल्कि सहकारी आंदोलन का मूल उद्देश्य यानी त्वरित और सुलभ वित्तीय सेवाएं भी प्रभावित हो रहा था।

किसानों और ग्रामीण अंचल को मिलेंगे ये बड़े लाभ

- **सस्ती ब्याज दरों पर ऋण** : किसानों को समय पर अल्पकालीन फसली ऋण और कृषि यंत्रों के लिए ऋण अपने ही जिले से मिल सकेगा।
- **प्रशासनिक सुगमता** : ग्राम सेवा सहकारी समितियां पैक्स का नियंत्रण और संचालन स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभावी होगा।
- **रोजगार के अवसर** : नए केंद्रीय सहकारी बैंकों के खुलने से स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सेक्टर में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

सहकारिता विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन 12 नए जिलों में केंद्रीय सहकारी बैंक मूर्त रूप ले लेते हैं, तो राजस्थान देश में सहकारिता के क्षेत्र में एक बार फिर अग्रणी राज्यों की पंक्ति में मजबूती से खड़ा नजर आएगा।

अमूल-जेडीए और सहकारिता विभाग मिलकर सुमेल गांव में बनाएंगे जैव विविधता पार्क

अरावली की तलहटी में सहकारिता विभाग की पहल: सुमेल गांव में 64 एकड़ में आकार लेगा ‘सहकार वन’

मारवाड का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। राजधानी के अरावली पर्वतमाला की गोद में बसे सुमेल गांव (जामडोली क्षेत्र) में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए 'सहकार वन परियोजना' का आगाज हुआ है। करीब 64 एकड़ भूमि पर विकसित होने जा रहे इस वन क्षेत्र में शनिवार को पौधाारोपण कर हरित क्रांति का शंखनाद किया गया। भविष्य में यह स्थान आमजन के लिए बायोडाइवर्सिटी पार्क और पारिवाहिक मनोरंजन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले ने सीताफल और प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कचनार का पौधा लगाया। वहीं केंद्रीय सहकारिता सचिव आशीष कुमार भूटानी, राज्य के सहकारिता सचिव डॉ. समित शर्मा और राजफेड के प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी ने चीकू के पौधे रोपे। केंद्रीय राज्य मंत्री मोहोले ने कहा कि 'सहकार से समृद्धि' अभियान के तहत देशभर में सहकार वन विकसित किए जा रहे हैं। इसमें स्थानीय



बटरफ्लाई पार्क से लेकर मियावाकी फॉरेस्ट तक

सहकारिता सचिव डॉ. समित शर्मा ने परियोजना की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वन क्षेत्र को विशेष लैंडस्केपिंग और मियावाकी पद्धति से सघन वन के रूप में विकसित किया जा रहा है।

- **पारिस्थितिकी संतुलन**: खेजड़ी, नीम, जामुन और रोहिड़ा जैसी स्थानीय वनस्पतियों को प्राथमिकता दी जा रही है।
- **वन्यजीव और जैव विविधता**: पक्षियों के घोंसलों के लिए विशेष बॉक्स, तितली उद्यान (बटरफ्लाई पार्क), वाटर बॉडी और बर्ड वॉचिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे।
- **संरक्षण व सुरक्षा**: 40 बीघा भूमि पर ईको-सेंसिटिव फेंसिंग की जा चुकी है। सीसीटीवी कैमरों और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (कंदूर ट्रेच, बायोस्वेल) से सुरक्षा व जल पुनर्भरण होगा।

पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए देशी प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें न्यूनतम रखरखाव की जरूरत पड़े। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने पेड़ों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, "वृक्ष हैं तो हमारा अस्तित्व है। पेड़ों के बिना पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा।" उन्होंने बताया कि अमूल, एनसीसीएफ, जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और सहकारिता विभाग के संयुक्त प्रयासों से यह सामुदायिक भागीदारी की अनोखी मिसाल बनेगा।

हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर संवारी जा रही सुविधाएं

सहकार वन को केवल एक पार्क नहीं, बल्कि शिक्षा, पर्यावरण-पर्यटन, स्वास्थ्य और पारिवाहिक मनोरंजन के एक एकीकृत केंद्र के रूप में ढाला जा रहा है। यहाँ आने वाले खेल व फिटनेस प्रेमियों के लिए जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग मार्ग, नेचर ट्रेल और ओपन जिम जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं, परिवारों के सुकून भरे पलों के लिए छायादार लॉन, लकड़ी व पत्थर की नवकाशीदार बेंचें, सुंदर विश्राम क्षेत्र और बोटिंग का विशेष आकर्षण जोड़ा गया है। इसके साथ ही, बच्चों के मनोरंजन पार्क, शुद्ध पेयजल स्टेशन, शिशु देखभाल कक्ष, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सूचना केंद्र जैसी मूलभूत जनसुविधाएं भी यहाँ विकसित की जा रही हैं। सहकारिता सचिव डॉ. समित शर्मा के अनुसार, इस विशाल हरित क्षेत्र के पूर्ण विकसित होने पर स्थानीय तापमान में गिरावट आएगी और वायुमंडल में नमी बढ़ेगी, जिससे आसपास के सूक्ष्म पर्यावरण में काफी सकारात्मक और सुखद बदलाव देखने को मिलेगा।

फसली ऋण योजना के तहत ब्याज अनुदान जारी

केंद्रीय सहकारी बैंकों के खाते में जारी हुए 40 करोड़

मारवाड का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 की 'ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना' के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों को 40 करोड़ रुपये की ब्याज अनुदान राशि जारी कर दी है। राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, यह राशि 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक की अवधि में प्राप्त ऋण वसूली के दावों के एवज में प्रदान की गई है। बैंक प्रशासन ने बताया कि 40 करोड़ रुपये की यह राशि दो समान

किस्तों में जारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से यह राशि 14 जुलाई 2026 को सीधे शीर्ष सहकारी बैंक में संधारित संबंधित बैंकों के चालू खातों में जमा कर दी गई है। शीर्ष बैंक ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक इस राशि में से संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समितियों (GSS) को देय 2 प्रतिशत मार्जिन राशि का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। इस योजना के तहत प्रदेश भर के विभिन्न जिलों की सीसीबी को ब्याज अनुदान की राशि का आवंटन किया गया है।

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना पुराने ऋणों की वसूली के बाद ही मिलेंगे नए लोन

मारवाड का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत लोन वितरण और वसूली के नियमों को कड़ा कर दिया है। बैंक के महाप्रबंधक (परिचालन) पी.के. नाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पहले बांटे गए ऋणों की वसूली सुनिश्चित करें। वसूली की अंतिम समय सीमा 18 माह या 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। नए ऋणों

का वितरण पोर्टल के माध्यम से होगा, लेकिन शर्त यह है कि बैंक जितने पुराने गोपालकों से लोन की पूरी वसूली करेगा, उतने ही नए आवेदकों को नया ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके अलावा, नए स्वीकृत ऋणों के स्वीकृति पत्र में यह अंकित करना अनिवार्य होगा कि गोपालक को एक वर्ष के भीतर भुगतान करना होगा। आर.आई.एस.एल. ने पोर्टल पर जरूरी तकनीकी सुसंधन कर दिए हैं ताकि इस प्रक्रिया को पारदर्शिता से लागू किया जा सके।

ई-पैक्स बनने के बाद अब डिजिटल सेवाओं पर जोर, पैक्स की समीक्षा बैठक

मारवाड का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। दी जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की चितलवानी शाखा में प्रबंध निदेशक नारायणसिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में ई-पैक्स घोषित समितियों में डिजिटल कार्यों को गति देने और 'सहकार से समृद्धि' अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए।

प्रबंध निदेशक ने दुग्ध समितियों को 'बैंक मित्र' बनाने, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना व फसली ऋणों की वसूली और गोदाम निर्माण के कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। शाखा प्रबंधक अभिषेक राजपूत सहित कई व्यवस्थापक इसमें मौजूद रहे। चितलवानी शाखा की सभी समितियों का कंप्यूटराइजेशन होना एक बड़ी उपलब्धि है।



कागजी शर्तों के मकड़जाल में उलझे पैक्स और लैम्पस

कस्टम हायरिंग सेंटर या नई प्रशासनिक उलझन?

सहकारी आंदोलन की रीढ़ कहे जाने वाले त्रिस्तरीय ढांचे की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाइयाँ पैक्स और लैम्पस आज अस्तित्व के सबसे बड़े चोहरा पर खड़ी हैं। एक तरफ सरकार किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने के लिए 'कस्टम हायरिंग सेंटर' योजना के बड़े-बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ विभाग स्तर से थोपी गई जटिल शर्तों और लाल फीताशाही ने पैक्स-लैम्पस की स्वायत्तता को कागजों में समेट कर रख दिया है। वर्तमान परिदृश्य यह चीख-चीखकर कह रहा है कि इन प्राथमिक समितियों को सरकारी दफ्तरों की कठपुतली बनाकर छोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई है।

कृषि आयुक्तालय द्वारा पैक्स से लेकर केवीएसएस तक कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए प्रशासनिक कस्कीकृतियों तो जारी कर दी गई हैं, लेकिन इसके साथ जो 25 सूत्रीय शर्तों का भारी-भरकम पुलिंदा जोड़ा गया है, उसने सहकारी संस्थाओं की कमर तोड़ दी है। निर्देशों के

अनुसार, सीसीबी स्तर से 8 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण राशि आवंटन कर समितियों को अपने स्तर पर कृषि यंत्र खरीदने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इन यंत्रों की खरीद और संचालन के नियम इतने पेचीदा हैं कि समितियों के लिए सांस लेना भी दूबर हो गया है। खरीद का कड़ा दायरा यह है कि ट्रैक्टर व कम्बाइन हार्वेस्टर केवल भारत सहकार के 'फार्ममेच' पोर्टल या अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदने होंगे। खरीदे गए हर कृषि यंत्र पर आधिकारिक रूप से लेजर कट/एंगेज सीरियल नंबर होना अनिवार्य है और पक्का जीएसटी बिल चाहिए। लाख रूप से अधिक कीमत के यंत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित 'टेलीमैटिक्स किट' लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी लाइव मॉनिटरिंग जिला और राज्य स्तर के पोर्टल से होगी, जिसका अतिरिक्त वित्तीय भार समितियों पर पड़ रहा है। परियोजना लागत का भुगतान 'एसएनएफ स्पर्ष' के माध्यम से वेंडर को होगा, जबकि भौतिक सत्यापन, जिओ-रेफरेंसिंग (राजकिसान एप पर), और 300 से 600 घंटे प्रति वर्ष उपयोग का रिकॉर्ड जैसे कड़े प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। इन तमाम शर्तों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी से जुझ रही पैक्स-लैम्पस इन तकनीकी और वित्तीय जंजीरों को संभाल पाएंगी? विडंबना देखिए कि एक तरफ सहकारी संस्थाओं को राहगीरी औपचारिकताओं और सरकारी नुमाइंदों के कागजी-करम पर छोड़ दिया गया है, वहीं देश की सर्वोच्च अदालतों के ऐतिहासिक फैसले इसके बिल्कुल उलट स्वायत्तता की वकालत करते रहे हैं। नब्बे के दशक के राजस्थान उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले तक यह स्थापित किया गया है कि स्वतंत्र सहकारी समितियां अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' नहीं हैं और उनकी चुनाव प्रक्रिया या आंतरिक कर्मकांड रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं। खंडपीठ ने अपने फैसले में दो टुक कहा था कि यह तथ्य कि ऐसी समितियां वैधानिक नियमों, रजिस्ट्रार की निगरानी या राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन हैं, उनके स्वतंत्र सहकारी संस्थानों के रूप में मूल स्वरूप को कम नहीं करते हैं। उठाए गए विवाद मुख्य रूप से सहकारी समितियों के आंतरिक शासन से जुड़े हैं और इनमें सार्वजनिक कानून के उल्लंघन का कोई संकेत नहीं मिलता है। जब देश की सर्वोच्च अदालतें और उच्च न्यायालय बार-बार यह कह रहे हैं कि सहकारी समितियां पूरी तरह से स्वतंत्र, स्वायत्त और सदस्यों द्वारा संचालित निकाय हैं—न कि सरकार के विभाग या 'राज्य के उपकरण'—तो फिर कृषि विभाग और प्रशासनिक तंत्र द्वारा हर कदम पर इन पर नौकरशाही का शिकंजा क्यों कसा जा रहा है? सीसीबी के जरिए 8% ब्याज पर कर्ज लेकर कस्टम हायरिंग सेंटर तो खोले जा रहे हैं, लेकिन भारी-भरकम ब्याज, डिजिटल ट्रैकिंग की अनिवार्यता और जटिल अनुदान प्रक्रियाओं के चलते पैक्स-लैम्पस आत्मनिर्भर होने के बजाय रकते के दलदल में फंसीती नजर आ रही हैं। यदि समय रहते इन अव्यवहारिक शर्तों की समीक्षा नहीं की गई, तो ग्रामीण आर्थिक की धुरी कहीं जाने वाली ये सहकारी समितियां महज सरकारी आदेशों ढोने वाला एक मोहरा बनकर रह जाएंगी।



-प्रकाश वैष्णव
लेखक स्तंभकार, संपादक
एवं सहकार चिंतक हैं ।

राजस्थान में सीसीबी और पैक्स का वित्तीय ढांचा बढ़ते एनपीए (2024-25 में ₹883.75 करोड़), तरलता की कमी और उच्च प्रशासनिक खर्चों के कारण संकट में है। आय के सीमित स्रोतों और पुनर्वित्त में कमी से पैक्स लगातार घाटे में हैं। कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में ग्राहकों के लिए ऑनलाइन लेनदेन की सुविधा न होना डिजिटलीकरण में बड़ी बाधा बना हुआ है।

"

**करवर जीएसएस को मिली 5 बीघा भूमि, अब
किसानों को मिलेंगे आधुनिक भंडार व संसाधन**

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बूढ़ी। 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए करवर ग्राम सेवा सहकारी समिति ने विकास की एक नई इबारत लिखी है। क्षेत्र के किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने और सुरक्षित भंडारण की सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने करवर जीएसएस को 5 बीघा भूमि आवंटित कर एक बड़ी सौगात दी है। इस भूमि पर विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत अत्याधुनिक वेयरहाउस और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। समिति अध्यक्ष राकेश कुमार जैन ने बताया कि किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस भूमि की मांग लंबे समय से की जा रही थी। जिला कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र से अधिक भूमि की आवश्यकता

- **आवटित भूमि :** करवर समिति बहुआयामी विकास करने की योजना बना रही है, जिससे किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी
- **आधुनिक वेयरहाउस :** अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए अत्याधुनिक गोदाम बनेंगे, ताकि

हिने पर प्रस्ताव को राज्य सरकार के राजस्व विभाग के पास भेजा गया था। सहकारिता को सशक्त बनाने की नीति के तहत सरकार ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए 6 अप्रैल 2026 को विधिवत स्वीकृति प्रदान कर दी। इस बड़ी उपलब्धि के लिए समिति ने 18 लाख 24 हजार 295 रुपये के राशि शी राजकोष में जमा कराने के पश्चात नैनवां उपखंड अधिकारी द्वारा ग्राम करवर की खसरा संख्या 3325/

क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

किसान अपनी उपज को खराब होने से बचा सकें।

- **उचित मूल्य का अवसर** : वेयर हाउसिंग सुविधा मिलने से किसान उपज को तब बेच सकेंगे जब बाजार में भाव बेहतर हों।
- **धर्मकांटा (वजन पुल)** : किसानों को फसल तौलने के लिए दूर नहीं

जाना पड़ेगा, समिति परिसर में ही सटीक वजन की सुविधा उपलब्ध होगी।

प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग : यहां तेल प्रोसेसिंग यूनिट और ग्रेडिंग मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे किसान अपनी फसल का मूल्य संवर्धन कर अधिक मुनाफा कमा सकेंगे।

वेयरहाउस और प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण से स्थानीय किसानों को अब अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे न केवल किसानों को अपनी मेहनत का बेहतर मूल्य मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। समिति की इस पहल से कवरब क्षेत्र के किसान नई तकनीक और आधुनिक संसाधनों के साथ समृद्धि की राह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे।

2478 में से 0.8090 हेक्टेयर (लगभग 5 बीघा) सिवायचक भूमि अन्न भंडारण निर्माण के लिए प्रस्तावित की गई थी। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव द्वारा जारी आदेशानुसार, यह भूमि अन्न 'ग्राम सेवा सहकारी समिति, करव' को 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। अत्याधुनिक

लाभ में 27 पीएलडीबी, किसानों को मिल रहे हैं अधिक मात्रा में मध्यकालीन ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, 1 शासन सचिवालय में शासन सचिव, सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रदेश की 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के व्यवसायी, विभागीय योजनाओं की प्रगति, कम्प्यूटराइजेशन, कार्यस्थल पर कर्मिकों की उपस्थिति आदि की समीक्षा की गई। डॉ. शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को एकमुश्त समझौता योजना के माध्यम से दी गई 200 करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज राहत का प्रभाव भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक रूप से पड़ा है। पिछले वर्ष तक मात्र 10 बैंक की लाभ की स्थिति में थे और अब लाभ में आने वाले बैंकों की संख्या 27 हो जायेगी। इस वर्ष में शेष 9 बैंकों को भी लाभ में

200 करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज राहत दी गई एकमुश्त समझौता योजना से **27** बैंक अब आंग्रे लाभ की स्थिति में, पिछले वर्ष केवल 10 बैंक थे फायदे में

लाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि बैंकों की वित्तीय स्थिति अच्छी होने से किसानों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक मात्रा में मध्यकालीन ऋण दिये जा रहे हैं। वर्ष 2025-26 की अवधि में विगत वर्ष से दोगुना से अधिक ऋणों का वितरण किया गया है। भूमि विकास बैंकों की कार्यप्रणाली को डिजिटाइज्ड कर पाददर्शित स्थापित करने के लिये यूएनस्टर पर उनका कम्यूटीराइजेशन



कार्य किया जा रहा है। उन्होंने भांलवाडा, केकडी, भरतपुर, बीसवाडा, उदयपुर एवं प्रतापगढ स्थित बैंकों के कम्यूटराइजेशन के कार्य की प्रगति को सराहते हुये जैसलमेर, रायसिंहनगर, जयपुर, नागौर, जालौर, झालावाड, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, वारां एवं सवाईमाधोपुर बैंकों की नसीहत दी और कहा कि वे अपनी अपनी बैंकों में कम्यूटराइजेशन के काम जैसी-एफएचआर, एफवीआर, डीसीटी और ऑन बोर्डिंग कार्य को निर्धारित

सीमा में पूरा करने के लिये डेड नोडल अधिकारी की मदद करके ताकि वे इस मुद्दे पर चर्चा नहीं। शासन सचिव ने कहा कि बैंकों के कम्प्यूटाइजेशन प्रणालियों के कामकाज में सुधार आयेगी एवं किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। श्री बैंकों की कामकाज की प्रगति विभाग द्वारा जारी "18 की प्रगति रिपोर्ट" के आधार पर हुई। केपीआई के अनुसार 18 सभी कामों में चित्तोड़गढ़ बैंक 89.93 प्रतिशत स्थान पर रहा। बालोतरा दूसरे, प्रतापगढ़ 82.71, तीसरे स्थान पर पाली, जालौर चौथे बैंकों का प्रदर्शन रहा। डॉ. शर्मा ने मुख्य कार्य कि किसानों को कर्ना है लेवि समय पर त अधिक महत्व है कि वित्तीय

20 अंक निर्धारित हैं
भूमि विकास बैंकों के
कम्प्यूटराइजेशन कार्य के लिए

16 अंक तय किए गए हैं बैंक लेखांकन, ऑडिट और आमसभा के आयोजन हेतु चित्तौड़गढ़ बैंक रहा समीक्षा में प्रथम स्थान पर

बैंकें 89.93 अंक के साथ प्रथम स्थान पर रहा, 82.98 अंक लेकर दूसरे स्थान पर तथा प्रतापगढ़ 82.47 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। उदयपुर, पाली, जालौर और सवाईमाधोपुर बैंकों का प्रदर्शन औसत से नीचे रहा। डॉ. शर्मा ने कहा कि बैंकों व मुख्य कार्य किसानों को ऋण मुहैया कराना है लेकिन ऋण को निर्धारित समय पर वसूल कराना उससे अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी बैंक की वित्तीय स्थिति ऋण वसूली से

18 की परफोरफॉर्मेस इण्डिकेटर्स (केआरपी) के आधार पर हुई बैंकों के कामकाज की समीक्षा

50 की परफोरफॉर्मिस
इण्डिकेटर्स (केआरपी) के
आधार पर हुई बैंकों के कामकाज
की समीक्षा

निर्धारित होती है। इसलिये बैंकों के मूल्यांकन के लिये निर्धारित केपीआई बिन्दुओं में क्रम वितरण कार्य को 8 अंक तथा वसूली कार्य को 50 अंक दिये गये हैं। बैंकों के कम्प्यूटराइजेशन से उनकी कार्यशैली एवं कार्य निष्पादन में वृद्धि होती है और वे त्वरित सेवाएँ देने के लिये तैयार होते हैं। इसलिये कम्प्यूटराइजेशन कार्य को पूरा करने के लिये 20 अंकों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि बैंक में लेखांकन,

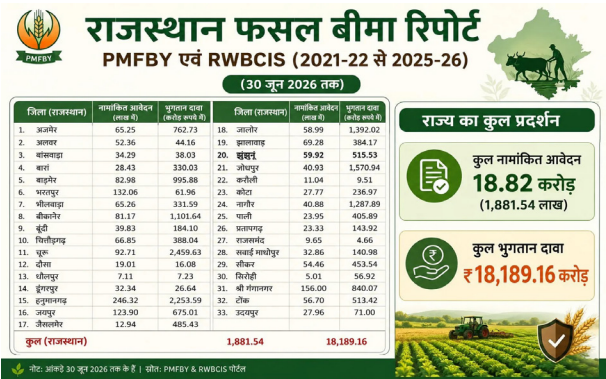
उसका ऑडिट एवं आमसभा के आयोजन के लिये 16 अंक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय अनुशासन की पालना के लिये 5 अंक तथा समर्पक पोर्टल व न्यायिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिये 5 अंक निर्धारित किये गये हैं। उन्होंने सभी बैंकों के सचिवों को कहा कि वे अपने स्टाफ के साथ जुटकर काम करें और बैंक को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये तैयार करें। उन्होंने कहा कि सभी बैंक इस प्रकार कार्य करें की उनका प्रदर्शन आउटस्टेण्डिंग हो। उन्होंने सभी बैंकों के दौरान कार्मिकों की कार्यस्थल पर कार्यलय समय में उपस्थिति, किसानों के साथ मृदुव्यवहार के साथ बैंकिंग सेवाओं का त्वरित निष्ठा दिवस तथा किसानों का बैंक के प्रति विश्वास में बढ़ोतरी करने पर विशेष रूप से जोर दिया।

26,758 करोड़ का प्रीमियम, क्लेम सिर्फ 68%: कागजी अड़गों और तकनीकी पेंच में उलझा अन्नदाता का हक

बीमा कंपनियों की ‘चांदी’ और आपदा में क्लेम का ‘क्लेश’ प्रीमियम तो पूरा वसूला, पर क्लेम के नाम पर मिला ठेंगा!

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आंकड़ों की जब परतें उघड़ीं, तो खेती-किसानी के नाम पर चल रहे इस ‘कारोबार’ का ऐसा वीभत्स सच सामने आया है जिसे देखकर बीमा कंपनियों की तिजोरी की चमक और किसानों के माथे की सिलवटें दोनों साफ दिखाई देती हैं।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत संसद में पेश किए गए ताजा आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि राजस्थान में पिछले 5 वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान बीमा कंपनियों के पास प्रीमियम के रूप में जो खजाना बरसा है, उसके मुकाबले किसानों को मुआवजे के नाम पर महज ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ ही हाथ लगा है। आंकड़ों की गवाही कहती है कि राजस्थान में कुल मिलाकर कुल प्रीमियम (किसानों का हिस्सा + राज्य सरकार का हिस्सा + केंद्र सरकार का हिस्सा मिलाकर) ₹26,757.63 करोड़ (लगभग 26,758 करोड़ रुपये) बीमा कंपनियों की झोली



में डाला गया।इसके एवज में बीमा कंपनियों ने पूरे राज्य के किसानों को कुल मिलाकर मात्र ₹18,189.16 करोड़ का बीमा क्लेम ही वितरित किया।यानी, कुल जमा प्रीमियम के मुकाबले बीमा कंपनियों को औसत रूप से केवल 67.98% (लगभग 68%) ही क्लेम राशि के रूप में वापस चुकाना पड़ा। बाकी के 32% से अधिक यानी लगभग 8,568 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा सीधे तौर पर बीमा कंपनियों के कॉर्पोरेट खातों में समा गया। इसे कहते हैं— “फसल मरे किसान की, मौज उड़े कम्पनी की!”

कागजों के घोड़े और धरातल की सच्चाई

रिपोर्ट चीख-चीख कर कह रही है कि फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों की जेब से प्रीमियम खींचने का खेल तो बड़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन जब बात आपदा में अन्नदाता के आंसुओं को पोछने की आती है, तो बीमा कंपनियों के खजाने के दरवाजे बहुत मुश्किल से खुलते हैं। राजसमंद जैसे जिले में जहां महज 5.46% क्लेम मिला हो, या दौसा-अलवर जैसे जिलों में 17% से 23% तक ही राहत पहुंची हो, वहां इस योजना की सफलता पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या बीमा कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया बनकर रह गई हैं? सरकार और प्रशासन को इस पर गंभीर चिंतन करने की सख्त जरूरत है।

फसल बीमा का ‘गणित’:

प्रीमियम से भरी तिजोरी, क्लेम के नाम पर सिर्फ मजबूरी!

- तिजोरी भरी, हाथ खाली: पिछले 5 वर्षों में बीमा कंपनियों के खातों में ₹26,757.63 करोड़ का भारी-भरकम प्रीमियम बरसा, लेकिन अन्नदाताओं को मुआवजे के नाम पर सिर्फ ₹18,189.16 करोड़ ही थमाए गए।
- मुनाफे की बहार: कुल प्रीमियम का 32% हिस्सा (लगभग ₹8,568 करोड़) सीधा कंपनियों के मुनाफे में गया, जिससे साबित होता है कि फसल चाहे किसान की मरे, मलाई कंपनियां ही खाती हैं।
- जबरन वसूली बनाम कंजूसी: बैंकों से प्रीमियम की एक-एक पाई समय पर काट ली जाती है, लेकिन जब आपदा में राहत देने की बारी आती है, तो कागजी अड़गों और तकनीकी पेचीदगियों का बहाना बना दिया जाता है।

आपदा किसानों की, मुनाफा कंपनियों का!

अन्नदाता आसमान की तरफ ताकता है—कभी सूखे की मार, कभी ओलावृष्टि, तो कभी बेमौसम बारिश। खेत में फसल बर्बाद होती है तो किसान कर्ज के दलदल में धंसता चला जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के इस ‘गणित’ में बीमा कंपनियों के वारे-न्यारे हो रहे हैं। प्रीमियम की एक-एक पाई बैंकों से सीधे काट ली जाती है, चाहे फसल उगी हो या पूरी तरह चोपट हो गई हो। और जब क्लेम देने की बारी आती है, तो कागजी खानापूरी, गिरदावरी के पेंच और तमाम तकनीकी अड़गों लगाकर दावों को या तो खारिज कर दिया जाता है या फिर काट-छांट कर ऐसा सुखा दिया जाता है कि किसान खुद को ठगा सा महसूस करे।

88 कस्टम हायरिंग केंद्र की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य में कृषि को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत 88 कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इसके जरिए बांसवाड़ा, सिरोही और बाड़मेर समेत विभिन्न जिलों की ग्राम सेवा और क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सस्ती दर पर आधुनिक कृषि यंत्र और ट्रैक्टर किराए पर मिल सकेंगे। प्रत्येक केंद्र की लागत 10 लाख रुपये तय

की गई है, जिस पर 8 लाख रुपये तक का अनुदान सीधे मिलेगा, जबकि बैंक से 8 प्रतिशत ब्याज पर 9 लाख रुपये तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत केंद्रों को 3 महीने के भीतर उपकरण खरीदकर संचालन शुरू करना अनिवार्य होगा। किसानों को यंत्र किराए पर लेने के लिए राज किसान कस्टम हायरिंग ऐप से ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। इसके अलावा 1 लाख रुपये से अधिक के स्वचालित यंत्रों में जीपीएस और एआई आधारित टेलीमेटिक्स किट लगाना अनिवार्य किया गया है।



अभियान के बाद भी अधिकांश सहकारी संस्थाओं के खाते अन्य बैंकों में संचालित, व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने और सरकारी संस्थाओं को वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए भले ही बड़े-बड़े अभियान चलाए जा रहे हों, लेकिन जमीनी स्तर पर इनकी पालना किस कदर हो रही है, इसकी बानगी सहकारिता विभाग के अपने ही आदेशों की अवहेलना से साफ झलकती है। विभाग द्वारा कड़े दिशा-निर्देश और विशेष अभियान चलाने के बावजूद आज भी जोधपुर खंड सहित प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकांश सहकारी संस्थाओं (पैक्स-लैम्पस से लेकर क्रय-विक्रय सहकारी समितियों तक) के वित्तीय खाते केंद्रीय सहकारी बैंकों में संचालित होने के बजाय अन्य व्यावसायिक एवं निजी बैंकिंग सेक्टरों में धड़ल्ले से चल रहे हैं। सहकारी संस्थाओं के पैसों का लेन-देन वापस सहकारिता के दायरे में लाने के दावों की पोल हाल ही में सामने आई अंकेक्षण (ऑडिट) रिपोर्ट्स ने खोल दी है। आरटीआई एक्ट के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत दिनों जब भीममाल तथा जालोर की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों (केवीएसएस) की ऑडिट रिपोर्ट निकाली गई, तो उसमें चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि इन दोनों महत्वपूर्ण समितियों के संपूर्ण खाते केंद्रीय सहकारी बैंक में संचालित

‘म्हारो खातो म्हारो बैंक’ अभियान और विभागीय सख्ती

सहकारी संस्थाओं के खातों को अन्य बैंकों से हटाकर वापस जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में लाने के उद्देश्य से कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर द्वारा 1 जनवरी 2025 से एक अभिभव पहल “म्हारो खातो म्हारो बैंक” अभियान का शुभारंभ किया गया था। भारत सरकार के “सहकार से समृद्धि” विजन और “एक सब के लिए एवं सब एक के लिए” की विचारधारा के तहत यह कदम उठाया गया था। रजिस्ट्रार मंजु राजपाल द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया था कि राज्य की समस्त प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों, दुग्ध संघों, उपभोक्ता होलसेल भंडारों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों से लेकर पैक्स तक अपने सभी चालू एवं बचत खाते संबंधित जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में ही खोलना सुनिश्चित करें। इसके लिए फरवरी 2025 तक के अलग-अलग चरण भी तय किए गए थे और उप रजिस्ट्रार व सहायक रजिस्ट्रार स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर साप्ताहिक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए थे।

“म्हारो खातो म्हारो बैंक” अभियान की फरवरी 2025 की निर्धारित डेडलाइन बीत जाने के बावजूद, जुलाई 2026 में भी दुग्ध संघ, कॉन्फेड, राजफेड और उपभोक्ता भंडारों के खाते पूरी तरह केंद्रीय सहकारी बैंकों में नहीं खुल पाए हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि खुद सहकार भवन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन खाते भी सहकारी बैंकों के बजाय निजी बैंकों में संचालित हो रहे हैं। आमेरा ने इसे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के “सहकारिता से सहकार” संकल्प के साथ धोखा बताया है। जब तक सहकारी संस्थाओं और विभागीय कमियों का पैसा सहकारी बैंकों में नहीं आएगा, तब तक “सहकार से समृद्धि” का सपना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने शासन सचिव और रजिस्ट्रार से प्रमुख मांग की है कि सहकार भवन स्थित सभी संस्थाओं और कर्मियों के खाते तत्काल अपैक्स बैंक या सीसीबी (CCB) में स्थानांतरित किए जाएं

— सूरज भान सिंह आमेरा, सहकार नेता

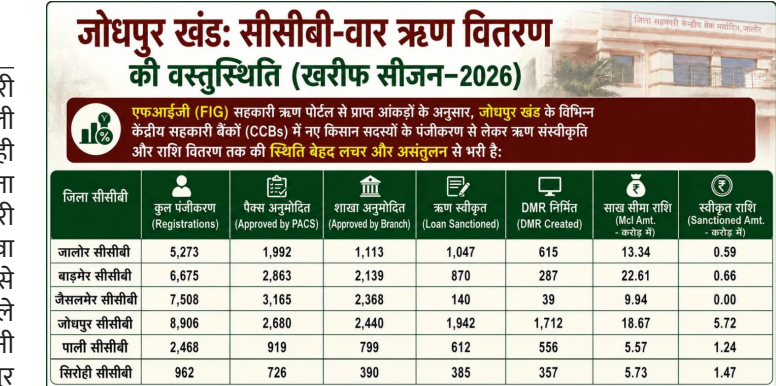
होने के बजाय अन्य बैंकिंग सेक्टरों में चल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार की स्थिति पाली केंद्रीय सहकारी बैंक की सादड़ी शाखा के कार्यक्षेत्र में भी देखने को

मिल रही है। यहाँ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पैक्स के तमाम खाते भी सीसीबी के स्थान पर अन्य बैंकिंग सेक्टरों में संचालित किए जा रहे हैं।

सहकारी फसली ऋण वितरण का सच: कागजी दावों और पोर्टल प्रणाली के मकड़जाल में उलझा सहकारी आंदोलन का त्रिस्तरीय ढांचागत तंत्र

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर | राजस्थान के सहकारी आंदोलन का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, वर्तमान कार्य-परिदृश्य उतना ही निराशाजनक और चिंताजनक बनता जा रहा है। प्रदेश में केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) के अधीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से नए किसान सदस्यों को बांटे जाने वाले अल्पकालीन फसल ऋणों की जमीनी हकीकत दावों से कोसों दूर है। जोधपुर खंड के अंतर्गत आने वाले छह जिलों—जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर और सिरोही—में इस वित्तीय वर्ष के खरीफ सीजन के दौरान नए किसानों को ऋण वितरण के आंकड़े इस व्यवस्था की पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं। वर्ष 2019 के पश्चात एपेक्स बैंक द्वारा लागू की गई एफआईजी पोर्टल पद्धति ने सहकारी क्षेत्र की मूल आत्मा को ही चोट पहुंचाई है। नब्बे के दशक में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया था कि “सहकारी समिति की स्वायत्तता सर्वोपरि है।” लेकिन, वर्तमान व्यवस्था में सहकारिता के नियमों और उच्च न्यायालय की उस



विशेषज्ञ की राय (एक्सपर्ट व्यू) : सुधार की सख्त जरूरत?

यदि जोधपुर खंड के इन छह जिलों के नए किसानों को समय पर और उनकी पूरी पात्रता के अनुसार अल्पकालीन फसल ऋण नहीं मिला, तो अन्नदाता एक बार फिर महाजनों और निजी साहूकारों के चंगुल में फंसने को मजबूर हो जाएगा। सरकार और सहकारिता विभाग को चाहिए कि वे एफआईजी पोर्टल की जटिलताओं को दूर करें, उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए पैक्स की स्वायत्तता बहाल करें, और सीसीबी प्रबंधनों की मनमानी पर अंकुश लगाएं, अन्यथा कागजी सहकारिता का यह मॉडल किसानों के लिए केवल छलावा बनकर रह जाएगा।

ऐतिहासिक भावना को ताक पर रख दिया गया है। जब पैक्स स्तर से किसान की भूमिधारिता की उपलब्धता के आधार पर उसकी पूरी साख सीमा (एमसीएल) स्वीकृत कर वितरक बैंक को भेजी जाती

है, तब सीसीबी प्रबंधन स्तर पर नाममात्र की राशि का ही फसली ऋण मुहैया करवाया जा रहा है। यह सीधे तौर पर किसानों के अधिकारों और समितियों की स्वायत्तता पर कुठाराघात है।

आंकड़ों की जुबानी: व्यवस्था की लाचारी और खोखले दावे

इन आंकड़ों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर सहकारिता तंत्र की नस-नस में फैली बीमारियां साफ नजर आती हैं:

जालोर और बाड़मेर की दयनीय स्थिति

जालोर सीसीबी में 13.34 करोड़ रुपये की मांग के एवज में मात्र 59 लाख रुपये (0.59 करोड़) ही स्वीकृत हुए। बाड़मेर सीसीबी में 22.61 करोड़ रुपये की बड़ी साख सीमा के मुकाबले केवल 66 लाख रुपये (0.66 करोड़) की ही राशि स्वीकृत हो पाई। यह इस बात का प्रमाण है कि कागजों में किसानों के पंजीकरण का बड़ा आंकड़ा तो दिखाया जा रहा है, लेकिन बैंकों के स्तर पर फाइलें दबा दी जाती हैं।

जोधपुर, पाली और सिरोही की आंशिक राहत

तुलनात्मक रूप से जोधपुर सीसीबी में 18.67 करोड़ की मांग पर 5.72 करोड़, पाली में 5.57 करोड़ पर 1.24 करोड़ और सिरोही में 5.73 करोड़ पर 1.47 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। हालांकि, ये आंकड़े भी किसानों की वास्तविक आवश्यकता और कुल स्वीकृत साख सीमा के मुकाबले बहुत कम हैं।

जैसलमेर सीसीबी का शून्य निष्पादन (जीरो परफॉर्मेंस):

जैसलमेर जिले में 7,508 किसानों ने नए ऋण के लिए पंजीकरण कराया। पैक्स स्तर पर 3,165 और शाखा स्तर पर 2,368 आवेदन स्वीकृत भी हुए, लेकिन जब बात वास्तविक ऋण संस्वीकृति और वितरण की आई, तो आंकड़ा महज 14 ऋणों पर सिमट गया और डीएमआर सृजन शून्य (0) रहा। वहीं 39.94 करोड़ रुपये की भारी-भरकम साख सीमा (एमसीएल) की मांग के मुकाबले वितरित राशि 0 (शून्य) रही। यह जैसलमेर के किसानों के साथ एक भयंकर मजाक और सहकारिता विभाग की पूरी तरह से नाकामी को दर्शाता है।

त्रिस्तरीय ढांचागत व्यवस्था और वर्तमान कार्य-परिदृश्य पर संकट के बादल

सहकारिता आंदोलन का मूल आधार त्रिस्तरीय ढांचा है—शीर्ष स्तर पर एपेक्स बैंक, मध्य स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी), और तृणमूल स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ (पैक्स)। लेकिन आज यह ढांचा ऊपर से नीचे तक तानाशाही और तकनीकी पेचीदगियों के बोझ तले दब चुका है।

- पोर्टल प्रणाली बनी बाधा: एफआईजी पोर्टल पद्धति ने पारदर्शिता लाने के नाम पर किसानों और समितियों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है, जहां हर स्तर पर फाइलें अटक रही हैं। समितियों के प्रस्तावों को सीसीबी स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित रखा जाता है।
- स्वायत्तता का हनन: पैक्स समितियों को अपने स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं बचा है। बैंक प्रबंधन अपनी मनमानी और वित्तीय सीमाओं का हवाला देकर किसानों को उनकी पात्रता से मीलों दूर रख रहा है।

स्वतंत्राधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक प्रकाश वैष्णव के लिए वैष्णव कंप्यूटर प्रिन्टर्स वैष्णव फार्म परावा तह. चित्तलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरवी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है । इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक ”मारवाड़ का मित्र” किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी । इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।

